[1]

सामान्य कानूनी सहायता मुकदमों में दिशा–निर्देश

सामान्य कानूनी मुकदमों में फंसा कोई व्यक्ति कानूनी सहायता की मांग कर सकता है। अगर आप भी किसी मुकदमे में फंसे हैं, तो यह आपको प्रभावित कर सकता है। अगर आपके प्रतिवादी ने कानूनी सहायता के लिये आवेदन किया है, तो आप हमें अपने किन्हीं भी सरोकारों के बारे में बता सकते हैं या हमें प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसे "प्रतिवेदन देना" कहते हैं।

हमसे संपर्क करें

क्या आपः

- अपने नजदीकी कानूनी सहायता सॉलिसिटर को ढूंढ़ना चाहते हैं
- कानूनी सहायता के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं
- हमारी पुस्तिकाएं मंगाना चाहते हैं?

तो हमारी कानूनी सहायता हेल्पलाइन **[Legal Aid Helpline]** को **0845 122 8686** पर (सप्ताह में सातों दिन सुबह 7 से रात 11 बजे तक) कॉल करें, या हमारी वेबसाइट **www.slab.org.uk** पर जाएं। हमारी वेबसाइट में हमारे सेवा मानकों के ब्यौरे भी शामिल हैं।

हम कानूनी सलाह प्रदान **नहीं** करते हैं – हम कानूनी सहायता प्रणाली का प्रबंधन करते हैं।

हमारा पता हैः 44 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7SW.

हमारा सामान्य टेलीफोन नंबर **0131 226 7061** है। BT टेक्स्ट डायरेक्ट द्वारा की जाने वाली कॉलों का स्वागत है।

हमारा ईमेल पता **general@slab.org.uk** है।

अन्य उपयोगी संपर्क

स्कॉटलैंड की लॉ सोसाइटी [Law Society of Scotland], 26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7YR
टेलीफोन : 0845 113 0018
वेबसाइट : www.lawscot.org.uk

अपने स्थानीय सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो [Citizens Advice Bureau] की तलाश करने के लिए, कृपया येलो पेजेस में देखें या सिटीजन्स एडवाइस स्कॉटलैंड [Citizens Advice Scotland] की वेबसाइट, www.cas.org.uk पर जाएं।

हमारी पुस्तिकाएं

- दीवानी कानूनी सहायता की निर्देशिका
- दीवानी कानूनी सहायता – आवेदकों के लिए जानकारी
- दीवानी कानूनी सहायता – आपको कितना भुगतान करना पड़ सकता है
- दीवानी कानूनी सहायता के मुकदमों में प्रतिवादियों के लिए दिशा–निर्देश
- बच्चों के लिए कानूनी सहायता
- क्या मैं सलाह और सहायता पाने की योग्यता रखता हूं – आपराधिक या बच्चों के मुकदमों में?
- आपराधिक कानूनी सहायता यदि आप हिरासत में हैं
- आपराधिक कानूनी सहायता यदि आप हिरासत में नहीं हैं
- स्कॉटिश कानूनी सहायता परिषद के बारे में शिकायतें एवं टिप्पणियां
- जानकारी तक पहुंच

विषय वस्तु

1. मुझे ये निर्देश क्यों पढ़ने चाहिएं?
2. अगर आवेदनकर्ता को कानूनी सहायता मिलती है तो उसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा?
3. मेरे विचार से किसी ने ऐसे मुकदमे में कानूनी सहायता मांगी है जो मुझे प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुझे इस संबंध में आपसे कोई फार्म नहीं मिला है। मुझे क्या करना चाहिए?
4. कोई व्यक्ति कानूनी सहायता के लिये योग्य है या नहीं इसका निर्णय आप कैसे करते हैं?
5. मुझे नहीं लगता कि आवेदनकर्ता को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए?
6. क्या आप आवेदनकर्ता को मेरे प्रतिवेदनों के बारे में बतायेंगे?
7. क्या आप मेरे प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर देंगे?
8. अगर आप कानूनी सहायता देते हैं तो क्या आप बतायेंगे कि मेरे प्रतिवेदन विफल क्यों रहे?
9. प्रतिवेदनों के बावजूद कानूनी सहायता मुहैया कराने के सर्वाधिक सामान्य कारण क्या होते हैं?
10. यदि मुझे लगता है कि आवेदनकर्ता ने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आपको दिग्भ्रमित किया है, लेकिन आप कानूनी सहायता पहले ही मंजूर कर चुके हैं, तो क्या होगा? या मुझे लगता है कि उनकी वित्तीय स्थिति बदल चुकी है लेकिन वे अब भी कानूनी सहायता हासिल कर रहे हैं, तो क्या होगा?
11. अगर मैं अदालत में नहीं जाना चाहूं तो?
12. मुझे खर्चों का भुगतान कब करना पड़ेगा?
13. क्या मैं अपनी चिंताओं के बारे में आपसे बात कर सकता हूं?
14. क्या मैं इस मुकदमे के लिए स्वयं ही कानूनी सहायता ले सकता हूं?
15. मुझे और सलाह कौन दे सकता है?
16. आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे?

सामान्य दीवानी अदालती मुकदमों – जैसे तलाक का मुकदमा या दुर्घटना के बाद नुकसान की भरपाई की कोशिश – में लिप्त व्यक्ति दीवानी सहायता के लिये आवेदन कर सकता है। (चूंकि यह पुस्तिका सिर्फ दीवानी कानूनी सहायता को देखती है, जहां हम 'कानूनी सहायता' से मतलब 'दीवानी कानूनी सहायता' से लेंगे)। कानूनी सहायता सार्वजनिक निधियों से की जाने वाली वित्तीय सहायता है। इसके पात्र लोगों को अपने मुकदमे को अदालत में पेश करने के लिये कानूनी परामर्श एवं सॉलिसिटर की मदद मिलती है।

अगर आप भी किसी मुकदमे में संलिप्त हैं तो यह आपको प्रभावित कर सकता है। अगर आपके प्रतिवादी ने कानूनी सहायता के लिये आवेदन किया है, तो आपके पास इस आवेदन या किसी तरह की दीवानी कानूनी सहायता पर प्रतिवेदन करने का अधिकार है। यह दिशा–निर्देश खुलासा करते हैं कि किस तरह।

हम यह फैसला नहीं कर सकते कि मुकदमा किसे जीतना चाहिए – यह अदालतों का काम है। हालांकि आपको हमें बताना चाहिए कि आप मानते हैं कि निम्न में से एक या सभी लागू होते हैं:

- प्रार्थी वित्तीय रूप से कानूनी सहायता पाने का पात्र नहीं है।
- मुकदमे के लिये कोई कानूनी आधार नहीं है।
- मुकदमे के लिये सार्वजनिक निधियों का इस्तेमाल अव्यावहारिक है।

हमें आप द्वारा दी गई सूचना से यह फैसला करने में मदद मिलती है कि हमें प्रार्थी को कानूनी सहायता देनी चाहिए, इंकार करना चाहिए या इसे वापस लेना चाहिए। अगर हम कानूनी सहायता वापस ले लेते हैं या इससे इंकार कर देते हैं तो भी प्रार्थी निजी रूप से मुकदमे को अदालत में ले जा सकता है।

1 मुझे यह दिशा–निर्देश क्यों पढ़ने चाहिए?

आपको यह निर्देश पढ़ने चाहिए, अगरः

- हमने आपको यह कहते हुए फार्म भेजा हो कि आपके प्रतिवादी ने कानूनी सहायता के लिये आवेदन किया है।
- आपको लगता हो कि आपका प्रतिवादी कानूनी सहायता के लिये आवेदन कर सकता है या इसे हासिल कर सकता है।

अगर हमने आपको यह पुस्तिका भेजी है, आप किसी सॉलिसिटर या किसी परामर्श केंद्र से परामर्श चाह सकते हैं। खंड 14 एवं 15 इस बात का खुलासा करता है कि उनसे कैसे संपर्क किया जाये। हालांकि, अपने प्रतिवेदन करने के लिये आपको सॉलिसिटर की जरूरत नहीं है – यह आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं।

2 अगर आवेदनकर्ता को कानूनी सहायता मिलती है तो उसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा?

हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने या आप द्वारा उठाये गये किसी मुद्दे के बचाव के लिये कानूनी सहायता दे सकते हैं। अगर कानूनी सहायता पाया व्यक्ति मुकदमा जीत जाता है, तो आपको अपने मुकदमे के साथ–साथ उसके मुकदमे का खर्च भी देना पड़ सकता है। हम उनके मुकदमे का खर्च आपसे वसूलने की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मुकदमा हारने के बाद के परिणामों को भी भुगतना होगा।

आप इन मुद्दों को अपने सॉलिसिटर अथवा अन्य परामर्शक से विचार करने की इच्छा रख सकते हैं।

3 मुझे लगता है कि मुझे प्रभावित करने वाले मुकदमे में किसी ने कानूनी सहायता के लिये आवेदन किया है। लेकिन मुझे इस बारे में आपसे कोई फार्म नहीं मिला है। मुझे क्या करना चाहिए?

आपको हमसे संपर्क करना चाहिए। सामान्यतः अगर आप किसी मुकदमे में प्रतिवादी हैं तो हम आपको आवदेन के बारे में बता देंगे। अवसर विशेष पर हम ऐसा नहीं करते हैं, – उदाहरण के रूप में अगर हमें आपके पते की जानकारी नहीं है, या सॉलिसिटर अथवा

आवेदक हमें इसके कारण बताता है कि इसे आपको बताना क्यों अनुचित होगा, जैसे कि घरेलू हिंसा के मुकदमों में। हालांकि, संपर्क करने पर हम आपको अधिक जानकारी देने में सक्षम नहीं होंगे – खंड 8 देखें।

अगर किसी ने कानूनी सहायता के लिये आवेदन किया है और हमें बताया कि आप उनके प्रतिवादी हैं तो हम आपको या आपके सॉलिसिटर (अगर कोई हो तो) को इस तरह से सूचित करते हैः

- एक पत्र के माध्यम से कि आपके प्रतिवादी ने आवेदन किया है और आपके पास इस पर प्रतिवेदन करने का अधिकार है।
- आवेदक के बयान की एक प्रति जिसमें उन्होंने हमें मुकदमे की प्रकृति के बारे में बताते हैं।

4 कोई व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए योग्य है या नहीं, इसका निर्णय आप कैसे करते हैं?

हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अन्य बातों मेंः

- आवेदक कानूनी सहायता की वित्तीय सीमा में आता है।
- मुकदमा करने के लिऐ उनके पास कानूनी आधार है।
- मुकदमे पर सार्वजनिक धन खर्च किया जाना व्यावहारिक है।
- कोई और – जैसे कि श्रमिक संगठन, बीमा कंपनी या पेशेवराना संगठन – उनको वित्तीय मदद देने को राजी नहीं है।

5 मुझे नहीं लगता कि प्रार्थी को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए?

हमारे द्वारा आपको आवेदन के बारे में सूचित करने के 14 दिनों के अंदर आप हमें लिखें और और उन कारणों का खुलासा करें कि वे पात्र क्यों नहीं हैं। (अगर आप ब्रिटेन से बाहर रहते हैं तो यह अवधि 28 दिन की रहेगी)

अगर हम कानूनी सहायता मुहैया कराते भी हैं तो लेकिन आपको लगता है कि कानूनी सहायता अनावश्यक रूप से जारी है तो आप हमें बाद में भी बता सकते हैं। लेकिन हमें नयी जानकारी चाहिए होगी – हमें उस बारे में बताने का कोई तुक नहीं होगा जिसकी पहले जांच की जा चुकी है।

अगर आप प्रतिवेदन नहीं करते हैं, तो हम कानूनी सहायता देने के बारे में फैसला इस आधार पर करेंग

:

- प्रार्थी एवं उनके सॉलिसिटर हमें जो कुछ बताते हैं।
- जहां उचित हो, लोगों यथा नियोक्ता या कार्य एवं पेंशन विभाग [Department for Work and Pensions]।

अगर हमने कानूनी सहायता के लिये किसी के आवदेन के बारे में आपको बताया है तो हम मुकदमे के बारे में उनके बयान की एक प्रति आपको भेजेंगे। इससे आपको यह फैसला करने में मदद मिलेगी कि आपके पास प्रतिवेदन के लिये बेहतर कारण हैं या नहीं। ये कारण आवेदनकर्ता की वित्तीय परिस्थितियों या मुकदमे की वरीयता से जुड़े हो सकते हैं।

5.1 आवेदनकर्ता की वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर मैं कैसे प्रतिवेदन कर सकता हू?

हमें किसी भी कारण का पूरा ब्यौरा दें कि आपको क्यों लगता है कि आवेदनकर्ता वित्तीय रूप से पात्र नहीं है। उदाहरण के रूप में

आपको संदेह है कि वेः

- ऐसी परिसंपत्ति रखते हैं जिसकी उन्होंने घोषणा नहीं की है – हमें डाक का पूरा पता दें या बतायें कि भूमि या संपत्ति कहां है

- ऐसी नौकरी करते हैं जिसकी घोषणा नहीं की है। हमें नियोक्ता का नाम एवं पता बतायें, कार्य की प्रकृति की जानकारी दें तथा यह भी बतायें कि परिवार या मित्रों के माध्यम से आप किसी संपर्क को जानते हैं तथा क्या वेतन का भुगतान नकदी में किया जाता है

- काफी मात्रा में बचत है। हमें राशि, धन किस वित्तीय संस्था के पास है तथा निवेश की प्रकृति की जानकारी दें

- किसी के साथ दंपति के रूप में रह रहे हैं। उस व्यक्ति, जिनके साथ वे रहते हैं के बारे में प्रासांगिक जानकारी दें जिससे यह स्पष्ट हो कि वे दंपति के रूप में साथ रह रहे हैं।

अगर आप सारी जानकारी मुहैया नहीं भी करा पाते हैं, तो भी हम उस पर विचार करेंगे जो कुछ आपने हमें बताया।

हमें यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी दें, तब हम आपकी आपत्तियों एवं अन्य किसी नई जानकारी की समुचित जांच कर सकेंगे।

हम कुछ चीजों की अनदेखी करते हैं, उदाहरण के रूप मेंः

- आवेदनकर्ता की परिसंपत्ति या पूंजी की, अगर वह उनकी आय में मददगार हो या रोजगार चाहने की इच्छा रखने वाले के भत्ते पर आधारित आय
- प्रार्थी के सहयोगी के वित्तीय संसाधनों की, अगर वे आपस में शादीशुदा नहीं हैं और

  - दोनों के बीच में एक सामान्य संबंध है जो उन्हें समय–समय पर साथ रहने को प्रेरित करता है।
  - वे साथ रह रहे हैं लेकिन एक का किराया दूसरा देता है।

अगर आपको लगता है कि आवेदनकर्ता ने अपनी परिस्थितियों के बारे में हमें दिग्भ्रमित किया तो आपको हमें ठीक ठीक बताना होगा कि कैसे। हम आप एवं प्रार्थी द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच करेंगे।

5.2 मुकदमे की वरीयता के आधार पर मैं कैसे प्रतिवेदन कर सकता हूं?

हम यह फैसला नहीं कर सकते कि किसके मुकदमा जीतने की संभावना है या किसे जीतना चाहिए – यह अदालत का काम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुकदमे के लिये सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अव्यावहारिक है या इसके लिये कोई कानूनी आधार नहीं है .. आपको हमें बताना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि मुकदमे के निस्तारण के लिये उचित पेशकश पहले ही की जा चुकी है, मुकदमे से

जुड़े पक्ष सहमत हो गये हैं, या मुकदमे को अदालत से बाहर निपटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

6 क्या आप आवेदनकर्ता को मेरे प्रतिवेदनों के बारे में बतायेंगे?

अगर संभव हुआ, आवेदनकर्ता के प्रति सही बने रहने के लिये हमें आपकी प्रतिवेदनों के बारे में उनसे चर्चा करनी होगी। अगर किसी महत्वपूर्ण कारण के चलते आप ऐसा नहीं चाहते तो कृपया हमें बतायें – लेकिन इसका मतलब होगा कि हम आपके प्रतिवेदनों की पूरी तरह जांच नहीं कर सकेंगे। जब भी आप प्रतिवेदन करें, तो कृपया यह स्पष्ट कर दें कि आप उन्हें प्रार्थी को दिखाने के बारे में हमसे सहमत हैं या नहीं।

हम आगे जांच की इच्छा रख सकते हैं और आपको कुछ और जानकारी के लिये कह सकते हैं।

7 क्या आप मेरे प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर देंगे?

हम आपको बतायेंगे कि हमें आपके प्रतिवेदन मिल चुके हैं। अगर आप हमें यह नहीं बताते हैं कि इस सूचना को आवेदनकर्ता को दिया जा सकता है या नहीं, तो हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसके अलावा और जानकारी आवश्यक होने पर आपसे संपर्क किया जा सकता है।

आम तौर पर हम कानूनी सहायता के लिये आवेदन मिलने के 35 दिन में आपको बता देंगे कि हमनें आवेदनकर्ता को मदद दी है या नहीं। इसमें वह समय शामिल नहीं है, जिसमें हम आवेदनकर्ता या उनके सॉलिसिटर को और जानकारी के कहा हो और उनके प्रत्युत्तर का इंतजार कर रहे हों।

8 अगर आप कानूनी सहायता प्रदान करते हैं तो मुझे बतायेंगे कि मेरे प्रतिवेदन विफल क्यों रहे?

नहीं, अगर हम कानूनी सहायता देते हैं, इससे इंकार करते हैं या समाप्त करते हैं तो ही आपको सूचित करेंगे। लेकिन, इससे अधिक हम आपको तभी बतायेंगे अगर उससे आवेदनकर्ता की गोपनीयता भंग नहीं होती है।

कानूनी सहायता के बारे में हम फैसला आवेदनकर्ता द्वारा दी गई सूचना एवं मिले प्रतिवेदनों के आधार पर करते हैं। जब लोग कानूनी सहायता के लिये आवेदन करते हैं तो हमें उन द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखना होता है। कानून के तहत हम किसी आवेदन के बारे में आवेदक या उसके सॉलिसिटर से ही चर्चा कर सकते हैं – उस स्थिति में जबकि आवेदक ने हमें अन्य पहल करने की अनुमति नहीं दी हो। इसका मतलब यही हुआ कि आवेदक या उनके सॉलिसिटर ने जो कुछ हमें बताया, जिसके आधार पर उन्हें आपके प्रतिवेदनों के बावजूद कानूनी सहायता दी गई, के बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। सूचना की आजादी का कानून [The Freedom of Information Act] आपको व्यक्तिगत मुकदमों की जानकारी हमसे पाने का अधिकार नहीं देता है।

9 सामान्यतः किन कारणों के चलते आप प्रतिवेदनों के बावजूद कानूनी सहायता मुहैया कराते हैं?

9.1 प्रार्थी की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रतिवेदन दिए के बावजूद कानूनी सहायता मंजूर करने के कारण।

- सूचना उस परिसंपत्ति के बारे में थी जिसे हम अपने वित्तीय आकलन में शामिल नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में, एक मकान जो आवेदक का मुख्य आवास है, पारिवारिक कार, उनके कारोबार के उपकरण या ऐसा कुछ जिसके बारे में विवाद हो।
- आवेदक द्वारा अर्जित किये जाने वाला धन, या पूंजी या संपत्ति उन्हें कानूनी सहायता की वित्तीय सीमा से परे करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

- हमने आवेदक के आश्रितों के लिये वित्तीय जांच के दौरान भत्तों का प्रावधान कर दिया।
- आकलन पात्रता के लिये गणना योग्य समयावधि (यह आवेदन से 12 माह बाद की है) से पहले या बाद की आय से जुड़ी सूचना
- सूचना आवेदक की जीवनशैली के किसी अंग से संबंधित हो, क्योंकि कानूनी सहायता के पात्र होने के बावजूद वे अपने कुछ खर्चों का वहन कर सकते हैं, जैसे छुट्टियों पर जाना।

9.2 मुकदमे की वरीयता के बारे में प्रतिवेदनों के बावजूद कानूनी सहायता मुहैया कराने की वजह?

- सूचना में उससे कुछ अलग नहीं है जो आवेदनकर्ता या उसका सॉलिसिटर हमें पहले ही बता चुके हैं

- सूचना, तथ्य पर एक सवाल है जिसके बारे में अदालत को फैसला करना है – कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला अदालत को करना है न कि हमें।

10 अगर मुझे लगता है कि आवेदनकर्ता ने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आपको दिग्भ्रमित किया है, लेकिन आप कानूनी सहायता पहले ही मुहैया करा चुके हैं तो क्या होगा? या मुझे पता है कि उनकी वित्तीय स्थिति बदल चुकी है, लेकिन वे अब भी कानूनी सहायता पा रहे हैं तो क्या होगा?

हम किसी की कानूनी सहायता को कभी रोक सकते हैं अगर हमें लगता है कि उन्होंने हमें दिग्भ्रमित किया है। उन्हें मुकदमे के लिए हमारी ओर से दी गई राशि का पुनर्भुगतान करना पड़ सकता है। कभी–कभी उन्हें आपराधिक मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है।

आकलन की 12 माह की अवधि में आवेदनकर्ता की आय में बदलाव आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें कानूनी सहायता के मद में अधिक (या कम) योगदान करना पड़ेगा। अगर मुकदमे के दौरान (यहां तक कि 12 माह की अवधि के बाद भी) उनकी पूंजी में बदलाव आता है तो हम उनके द्वारा चुकाई जाने वाली राशि में भी बदलाव कर सकते हैं।

आप हमें ब्यौरा भेजें अगर आपको लगता हो किः

- किसी ने हमें दिग्भ्रमित किया या अपनी वित्तीय स्थिति में बदलाव के बारे में हमें नहीं बताया
- मुकदमे के लिये कोई कानूनी आधार नहीं बचा है
- कानूनी सहायता जारी रखना अव्यावहारिक हो गया है।

प्रतिवेदन करते समय आपको हमें क्या सूचना देनी होगी इस बारे में खंड 5.1 देखें।

याद रखें, अगर हमने कानूनी सहायता दे भी दी है और आपको लगता है कि कानूनी सहायता उस वक्त भी जारी है जबकि उसकी जरूरत नहीं है तो आप हमें बाद में भी सूचित कर सकते हैं।

11 अगर मैं अदालत में नहीं जाना चाहूं तो?

आपको कानूनी सहायता अपने सॉलिसिटर, या नागरिक परामर्श ब्यूरो [Citizens Advice Bureau] से लेनी होगी। खंड 15 देखें।

12 मुझे खर्च का भुगतान कब करना पड़ सकता है?

12.1 अगर मैं मुकदमा हार जाता हूं तो मुझे क्या भुगतान करना पड़ सकता है?

अगर कानूनी सहायता पाया व्यक्ति मुकदमा जीत जाता है तो आपको अपने खर्च के साथ–साथ उनके मुकदमे का खर्च भी चुकाना पड़ सकता है। आप मुकदमे के बातचीत से हुए निस्तारण के अंश के रूप में भुगतान करने पर सहमत हो सकते हैं। हम उनके मुकदमे का खर्च आपसे हासिल करने की मांग कर सकते हैं। आपको मुकदमे में हारने के अन्य परिणामों का सामना भी करना होगा।

12.2 अगर मैं मुकदमा जीत जाता हूं तो मेरे खर्च का भुगतान कौन करेगा?

अगर आप मुकदमा जीत जाते हैं तो अदालत आवेदनकर्ता से आपका खर्च चुकाने को कह सकती है। हालांकि, आवेदनकर्ता अदालत से भुगतान की जाने वाली राशि में कमी का आग्रह कर सकता है। अदालत उनकी भुगतान करने की क्षमता एवं मुकदमे में उनके व्यवहार को निगाह में रखेगी। अदालत में खर्च में कटौती कर सकती है या नहीं भी कर सकती। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से आवेदनकर्ता पर खर्च वापस लेना आप पर ही निर्भर करता है।

हालांकि, कुछ परिस्थितियों में आवेदक से खर्च लेने के बजाय, आप अदालत से आग्रह कर सकते हैं कि वह खर्च का भुगतान करने का आर्डर हमें दे। अदालत को यह जानने की जरूरत होगीः

- आवेदनकर्ता ने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।
- आप जीते।
- अगर हम खर्च नहीं देते हैं तो आपको वित्तीय दिक्कतें होंगी, और
- अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो यह अनुचित होगा।

अगर मुकदमा एक याचिका है तो अदालत को सिर्फ यह जानना होगाः

- आप जीते हैं।
- अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो अनुचित होगा।

13 क्या मैं अपनी चिंताओं के बारे में आपसे बात कर सकता हूं?

हां, अगर आप फोन करते हैं और किसी आवेदन पर प्रतिवेदन करने की इच्छा जताते हैं हम आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करायेंगे जो आपसे विचार–विमर्श कर सके।

अगर आप मुकदमे पर सीधी बातचीत के लिये हमारे कार्यालय आना चाहते हैं तो कृपया पहले फोन कर समय ले लें। ऐसे में उचित व्यक्ति उपलब्ध होगा। हम केवल आपके प्रतिवेदनों पर बात कर सकते हैं न कि मुकदमे के ब्यौरे के बारे में।

अगर आप कार्यालय में फोन करते हैं, तो कृपया बतायें कि दीवानी आवदेन विभाग में बात करना चाहते हैं औरः

- अगर आपका प्रतिवेदन आवेदनकर्ता की वित्तीय स्थिति के बारे में हैं (खंड 5.1 देखें) तो वित्तीय आकलन इकाई में किसी से बात

कराने को कहें।

- अगर आपका प्रतिवेदन मुकदमे की वरीयता के बारे में है (खंड 5.2 देखें), तो हमारे अर्धकानूनी – पैरालीगल – स्टाफ से बात करें।

14 इस अदालती मुकदमे के लिये मैं अपने स्तर पर कानूनी सहायता ले सकता हूं?

आप कानूनी सहायता के लिये पात्र हो सकते हैं। आपको इस पुस्तिका के खंड 4 में तय परीक्षणों पर खरा उतरना होगा। आपको किसी सॉलिसिटर ('परामर्श एवं मदद' के रूप में प्रचलित) से आरंभिक परामर्श के लिये भी पात्र बनना होगा। दीवानी कानूनी परामर्श [civil legal assistance] देने के लिये पंजीकृत सॉलिसिटर की खोज के लिए, या हमारी पुस्तिका *दीवानी कानूनी सहायता की निर्देशिका [A guide to civil legal aid]* पाने के लिये कृपयाः

- हमारी कानूनी सहायता हेल्पलाइन 0845 122 8686 (सप्ताह के सातों दिन सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुली) पर फोन करें, या
- हमारी वेबसाइट www.slab.org.uk पर जाएं।

15 मुझे और अधिक सलाह कौन दे सकता है?

स्थानीय सॉलिसिटरों के बारे में आप अधिक जानकारी स्काटलैंड की लॉ सोसायटी [Law Society of Scotland] तथा अपने स्थानीय नागरिक परामर्श ब्यूरो [Local Citizens Advice Bureau] से ले सकते हैं। नागरिक परामर्श ब्यूरो [Citizens Advice Bureau] आपको यह भी बता सकने में सक्षम हैं कि आप कानूनी सहायता पाने के योग्य होंगे या नहीं। (संपर्क ब्यौरे के लिए पुस्तिका के मुखपृष्ठ या कवर का अंदरूनी हिस्सा देखें)। इसके अलावा आप अपनी यूनियन या बीमाकर्ता से मदद पाने के बारे में भी विचार कर सकते हैं।

16 मैं आपको जो जानकारी दूंगा उसका उपयोग आप कैसे करेंगे?

कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने के द्वारा, आप हमें बोर्ड के अंदर और, जहां आवश्यक हो, बोर्ड के बाहर के लोगों के साथ जानकारी पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

स्कॉटलैंड की लॉ सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर भी आपके आवेदन में दी गई जानकारी को, सोसाइटी द्वारा की जाने वाली बेतरतीबवार गुणवत्ता–आश्वासन जांचों के एक भाग के रूप में देख सकते हैं।

कानून के अनुसार, हमें इस संबंध में बहुत सावधान रहना होता है कि हम लोगों द्वारा हमें दी जाने वाली जानकारी का प्रयोग कैसे करते हैं। कानूनी सहायता हेतु किसी आवेदन की जानकारी हम सामान्यतः सिर्फ तभी जारी करते हैं जबकि जिस व्यक्ति ने इसे हमें प्रदान किया है उसकी अनुमति हो, या यदि कानून हमें ऐसा करने को कहता हो। परन्तु, यदि आप किसी व्यक्ति जैसे अपने MSP को हमसे अपने मुकदमे के बारे में संपर्क करने को कहते हैं, तो हम यह मानेंगे कि, ऐसा करके, आपने हमें उनसे इसकी चर्चा करने की अनुमति दी है। साथ ही *आंकड़ा सुरक्षा और सूचना की आजादी संबंधी अधिनियम [Data Protection and Freedom of Information Acts]* के तहत कुछ खास जानकारियों को गोपनीय बनाए रखना, और अन्य जानकारियों की पूर्ति करना भी हमारा कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, हम आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हमसे आपके बारे में हमारे पास मौजूद जानकारी, और कुछ अन्य जानकारियों जिन्हें हम कानूनी सहायता के बारे में रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं तथा हमारे काम करने के ढंग के बारे में पूछने का अधिकार है।

आपके द्वारा हमें फोन किए जाने पर, कभी–कभी हम आपकी पहचान जांचने के लिए भी जानकारी का प्रयोग करते हैं। हम कुछ खास विवरणों को भी इकट्ठा करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे कार्य करने के तरीके गैरकानूनी ढंग से पक्षपात न करते हों और सभी के लिए समान अवसर तथा पहुंच प्रदान करते हों।

यदि आप इस संबंध में अधिक जानना चाहते हैं कि हमें दी गई जानकारी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो कृपया हमारी पुस्तिका *जानकारी तक पहुंच [Access to information]* पढ़ें, जो विस्तार से बताती है कि:

- आप कैसे यह पता लगा सकते हैं कि हमारे पास आपके बारे में क्या जानकारी है
- आपके बारे में हमारे पास मौजूद किसी भी जानकारी के साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे
- हमारे द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों और आधिकारिक जानकारी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

इस पुस्तिका को कुछ अन्य भाषाओं, ब्रेल लिपि या बड़े अक्षरों, या ऑडियो टेप पर प्राप्त करने के लिए, कृपया भीतरी आवरण के अंदर दर्शाए गए संपर्क विवरणों पर हमें संपर्क करें।

GUID-OPP-O2/07